न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 190/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 23.09.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/190

श्रीमति धापू बाई पत्नि नंदा रेगर उम्र 75 वर्ष निवासी राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.09.2021 न्यायालय तहसीलदार राशमी, प्रकरण संख्या 25/2021

उपस्थितिः–1– श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.09.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का राशमी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा राशमी की आराजी नम्बर 1224 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से रकबा 0.0161 हैक्टेयर किस्म बिलानाम नाला पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के पति के विरूद्ध अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर

प्र. सं. 190/2022 (रा. अ.)
श्रीमति धापूबाई पत्नि नंदा रेगर निवासी राशमी, तहसील राशमी बनाम राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, राशमी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का राशमी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा राशमी की आराजी नम्बर 1224 रकबा 0.81 में से 0.0161 हैक्टेयर भूमि किस्म बिलानाम नाला पर अपीलांट के पति नंदा का नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट के पति अनपढ़ होकर पढ़ने-लिखने में असमर्थ है जिसका फायदा उठाकर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के पति के विरूद्ध यह विवादित आदेश पारित किया है। विवादित भूमि को बिलानाम नाला बताई गई है जबकि मौके पर कोई नाला नहीं होकर उक्त भूमि मांगू पिता सोराम बोला निवासी राशमी के नाम पर होकर उक्त भमि के विगत आराजी नम्बर 1057 व 1072 है जो कि मांगू ने अपीलांट को 90 हजार रूपये में विक्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 16.10.2002 को कराई तब से अपीलांट व उसके पति का कब्जा रहा है उक्त भूमि बिलानाम नाला नहीं है। अपीलांट के पति पिछले दो-तीन वर्षों से चलने फिरने में असमर्थ होकर दिनांक 06.06.2022 को उनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनकी मृत्यु के बाद दिनांक 13.09.2022 को अतिक्रमण हटाने की तारीख नियत कर नोटिस जारी किया है अपीलांट के पति नंदा की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट उनकी विवाहिता पत्नि होकर वर्तमान में अपीलांट का ही विवादित भूमि पर कब्जा है जिससे अपीलांट को बिना सुने बेदखल करने से उसके भूखे मरने की नोबत आ जाएगी साथ ही विवादित आदेश दिनांक 03.09.2021 पारित करने से पूर्व भी अपीलांट के पति को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रथम पेशी पर ही यह आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। चूंकि विवादित आराजीयात पर अपीलांट व उसके पति का

प्र. सं. 190/2022 (रा. अ.)
श्रीमति धापूबाई पत्नि नंदा रेगर निवासी राशमी, तहसील राशमी बनाम राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और पूर्व के सभी नोटिस नंदा रेगर के नाम से जारी होकर अतिक्रमी नन्दा की मृत्यु हो गई है उसकी वैध वारिस पत्नि अपीलांट धापूबाई जीवित होने से अपीलांट की ओर से धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने की इजाजत प्रदान करावें साथ ही विलम्ब हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय बिलानाम नाले की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अतिक्रमी नंदा रेगर की दिनांक 06.06.2022 को मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट धापू बाई मृत्तक नन्दा रेगर की पत्नि होने से वैध वारिस है जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थी अतः वैध वारिस होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार योग्य है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पक्षकार नहीं होने से पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 की जानकारी अपीलांट को नहीं होना स्वाभाविक है जिससे अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम भी स्वीकार योग्य है। निष्कर्षतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलांट ने उसके पति नंदा के पढ़ना-लिखना नहीं जानने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा मनमाफिक आदेश पारित किये जाने संबंधी कथन करते हुए जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम आदेशिका दिनांक 25.08.2021 पर अपीलांट को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर पेशी दिनांक 03.09.2021 निर्धारित की गई है तथा द्वितीय आदेशिका दिनांक 03.09.2021 पर अंकित किया है कि ''अप्रार्थी नन्दा उपस्थित हुआ। पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजकीय भूमि पर अतिचार/अनाधिकृत कब्जा करना अप्रार्थी ने स्वीकार किया। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिचारी के विरूद्ध लगान का 50 गुणा जुर्माना अर्थात् 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पटवारी हल्का को बेदखली हेतु लिखा जावे। निर्णय पृथक से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रथम अवसर पर ही अतिक्रमी नंदा रेगर की अंगूठा निशानी अंकित कर दिनांक 03.09.2021 को उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी/अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)